

FORM OF ORDER SHEET**IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.**

Land Dispute Appeal No.- 160/2022

Chabbu Yadav.....Appellant**Versus****Dukha Mandal.....Respondent**

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	04-10-2024	<p align="center">—:आदेश:—</p> <p>प्रस्तुत अपील न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बनमनखी, पूर्णिया द्वारा B.L.D.R वाद सं०— 02/2022-23 में दिनांक—30.6.2022 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है।</p> <p>उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इनके द्वारा निम्न न्यायालय में उक्त वाद दायर करते हुए स्पष्ट किया कि मौजा— नौलखी, थाना सं०— 355 खाता सं०— 17, खेसरा सं०— 102, रकवा— $.20 \frac{3}{4}$ डी० भूमि निश्चित चौहद्दी के साथ उत्तरवादी से विक्रय संलेख सं०— 7052, दिनांक— 27.8.2012 को क्रय करते हुए नामांतरण कराकर भू-लगान भुगतान कर रहे हैं। उत्तरवादियों द्वारा इनके दखल में व्यवधान किये जाने के कारण निम्न न्यायालय में वाद दायर करना पड़ा। जिसमें उत्तरवादियों ने प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी के पक्ष में बिक्री करते हुए दखल प्रदान करने की बात स्वीकर की है। विवाद का मूल कारण है कि उत्तरवादियों का कहना है कि उक्त खाता का कुल रकवा— 1.28 एकड़ है। जबकि उक्त खाता से नामांतरण 1.88 एकड़ की हो गई है। निम्न न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए अंचलाधिकारी, बनमनखी को दस्तावेजीय एवं स्थलीय जाँचोंपरांत यदि आवश्यक हो तो इसके समुचित समाधान हेतु सक्षम प्राधिकार के माध्यम से अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निदेश के साथ वाद खारिज कर दिया गया।</p> <p>इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश अटकालो पर आधारित, तथ्यों से परे एवं अवैध है। अपीलार्थी प्रश्नगत भूमि के वैध क्रेता है तथा भू-लगान भुगतान कर रहे हैं। निम्न न्यायालय द्वारा इनके हितों एवं दखल-कब्जे की रक्षा करनी चाहिए थी, किन्तु निम्न न्यायालय ने इन तथ्यों को नजर-अंदाज करते हुए आदेश पारित किया है, जो वैध नहीं है इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>दूसरी तरफ उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील पक्षकार दोष ग्रसित रहने एवं तथ्यों के आधार पर पोशणीय नहीं है। R.S खतियान के अनुसार खाता सं०— 17, खेसरा सं०— 102 का कुल रकवा— 1.28 एकड़ है जबकि रकवा— 1.88 एकड़ भूमि का विभिन्न व्यक्तियों के नाम</p>	

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	<p>लगातार 04-10-2024</p>	<p>भू-लगान निर्गत है। निम्न न्यायालय ने इसके सत्यापन एवं शुद्धिकरण हेतु क्रमशः</p> <p>अंचलाधिकारी, बनमनखी को सही निदशित किया है। उत्तरवादियों ने प्रश्नगत खाता, खसेरा के कई विक्रय संलेखों के माध्यम से कुल $84 \frac{1}{4}$ डी0 भूमि क्रय की है। जिसका भू-लगान इनके पक्ष में निर्गत है। यह सही है कि इनके द्वारा दिनांक- 27.8.2012 को $20 \frac{3}{4}$ डी0 भूमि अपीलार्थी को बिक्री की गई है। जिसे इन्होंने दिनांक- 15.7.1987 को भिखारी यादव से क्रय की थी। इस संबंध में पंचायत निष्फल रही। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी छबू यादव एवं इनके भाई भिखारी यादव ने $84 \frac{1}{4}$ डी0 भूमि बलदेव यादव एवं सिंहेश्वर यादव से क्रय की। किन्तु मात्र 62 डी0 भूमि की ही जमाबंदी इसके नाम दर्ज हो सकी क्योंकि सिंहेश्वर यादव ने अपने भाई दुखा यादव को नाबालिग बताते हुए उनके हिस्से की भूमि पूर्व में ही बिक्री कर दी थी। फलतः कई व्यक्तियों के नाम खतियानी रकवा से अधिक भूमि की जमाबंदी दर्ज हो गई है। निम्न न्यायालय द्वारा सही आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>उभय पक्षों को सुनने निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सु-संगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी के दखल-कब्जे में व्यवधान उत्पन्न किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत विवाद उत्पन्न हुआ है। उत्तरवादी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि प्रश्नगत भूमि उन्होंने अपीलार्थी को विक्रय संलेख सं0- 7052, दिनांक- 27.8.2012 द्वारा बिक्री करते हुए दखल-कब्जा दे दिया और अपीलार्थी एवं अन्य द्वारा भी उसी तिथि 27.8.2012 को संयुक्त रूप से उत्तरवादी के पुत्र त्रिभुवन यादव के पक्ष में विक्रय संलेख सं0- 7070 द्वारा कुल 21 डी0 भूमि बिक्री की गई है। अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह विदित होता है कि त्रिभुवन यादव के विक्रय संलेख के "तफसील " कॉलम में तीनों विक्रेताओं को प्राप्त भूमि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अपीलार्थी के संबंध में यथा वर्णित "मोकिर तीन को ता0 24.6.1971 ईसी दलील नं0- 4037, भो0 54 पेज नं0 186 से 190 के द्वारा प्राप्त है, जो बलदेव मंडल से प्राप्त है। जो दस धूर जमीन बिक्री किया।" इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने वर्ष 1971 में किसी अन्य व्यक्ति से क्रय की गई भूमि में से मात्र 10 धूर भूमि निश्चित चौहद्दी के साथ त्रिभुवन यादव को बिक्री की है। इससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि इनके द्वारा विवादित भूमि से बिक्री नहीं की गई है। फलतः अपीलार्थी द्वारा उत्तरवादी से क्रय की गई भूमि $20 \frac{3}{4}$ डी0 पर इनका वैध अधिकार है। अंचल अधिकारी, बनमनखी द्वारा समर्पित</p>	

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	<p>लगातार 04-10-2024</p>	<p>क्रमशः पत्रांक- 1202, दिनांक- 22.5.2024 से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का नामांतरण वाद सं०- 1869/2016-17 द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में जमाबंदी सं०- 96 दर्ज है। वर्ष 2024-25 तक का अद्यतन भू-लगान भुगतान है, जो अपीलार्थी के दावे की वैधता को प्रमाणित करता है। निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है। अतः उपरोक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को विधि-सम्मत एवं न्यायोचित नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है। उत्तरवादी को निदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी के दखल-कब्जे में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे। निम्न न्यायालय नियमानुसार आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। अपील अभ्यावेदन स्वीकृत। खतियानी रकवा से अधिक रकवा की जमाबंदी सृजित होने के लिए संबंधित राजस्व कर्मचारी को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजें।</p> <p>लेखापित एवं सशोधित</p> <p>आयुक्त, पूर्णिमा प्रमंडल, पूर्णिमा।</p> <p>आयुक्त, पूर्णिमा प्रमंडल, पूर्णिमा।</p>	